

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी-स्कीम जयपुर 302013
क्रमांक प.1(ग)()का/एसएमई/डी एल बी/17/1135 दिनांक 10/8/17

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम - 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिपिकवर्गीय व अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं :-

| क्र. सं. | कर्मचारी का नाम | पदनाम | कहाँ से | कहाँ को |
|----------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | श्री मो0 सुहेल शेख | राजस्व निरीक्षक | राजसमन्द | भीलवाडा |
| 2 | श्री जयराम देवासी | वरिष्ठ लिपिक | पाली | देवगढ |
| 3 | श्री राजू दर्जी | कनिष्ठ लिपिक | भीण्डर (उदयपुर) | फतेहनगर सनवाड |
| 4 | श्री धीरज मेहरा | फायरमैन | किशनगढ | बून्दी |
| 5 | श्री लक्ष्मण सिंह भाटी | फायरमैन | पीपाडशहर | जोधपुर |

श्री चौथमल शर्मा वरिष्ठ लिपिक रावतभाटा अग्रिम आदेशों तक निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर में आदेशों की प्रतिक्षा में रहेंगे।

नोट :-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो, तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।
5. कर्मचारी को प्रथम पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक प.1(ग)()का/एसएमई/डी एल बी/17/1136-49 दिनांक 10/8/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
03. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/अजमेर।
04. महापोर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
05. श्री पद नगर
06. सुरक्षित पत्रावली।

(अलका मीणा)
उपनिदेशक (प्रशासन)